उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-71/2019/912/92-2-19-76जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 29 अप्रैल, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत संशोधित कार्य योजना के अनुसार 03 परिवर्तित ग्रामों की स्वीकृत धनराशि पंचायती राज विभाग से प्राप्त न होने पर भी कार्य कराने एवं मनमाने ढंग से ठेकेदार को भुगतान न कराने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-46/2018/490/92-2-18-76जांच/2017 दिनांक 19-03-2018 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-808/ग्रा0अ0वि0/आ0लि0/अनु0जांच-47/18-19 दि0 27-11-18 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 27-11-2018 में अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से आरोप संख्या-1 व 2 पूर्णरूप से एवं आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-4 स्थापित नही पाया गया। अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र संख्या-3007/92-2-18-76जांच/2017 दि0 04-12-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 27-11-2018 की प्रति अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद को प्रेषित करते हुये उक्त जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 07-01-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री अहमद पर सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में प्रश्नगत प्रकरण में पुनरीक्षित निर्माण कार्य को जिलाधिकारी, बुलंदशहर की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के पश्चात कार्य कराये जाने, जिसमें तत्समय किसी प्रकार का भुगतान न किये जाने से यदयपि किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा बिना धनावंटन के कार्य कराने, अन्य कार्यो की बचत की धनराशि जो उसी मद या उसी वर्ष में अवशेष थी से भुगतान करने की अनुमति नियमानुसार पंचायती राज के सक्षम अधिकारी से न प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप ठेकेदारों को भुगतान न किये जाने से शासन एवं विभाग की छवि धूमिल करने हेतु श्री हसनैन अहमद तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-70/2019/911/92-2-19-76जांच/2017 दिनांक 29-04-2019 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- श्री हसनैन अहमद के विरूद्ध प्रमाणित सभी 03 आरोपो के क्रम में दिये गये उपरोक्त परिनिन्दा दण्ड से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में प्रमाणिकता नही बनाये रखी गयी, जिससे प्रकरण में उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध परिलक्षित होती है। अत: उक्त कृत्य के लिये श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुंलदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली की वर्ष 2019-20 के लिये सत्यनिष्ठा अप्रमाणित की जाती है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-71/2019/912 (1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को उनकी चरित्र पंजिका में वर्ष 2019-20 के साथ रखे जाने हेतु।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।